उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-74/2019/1045/92-2-19-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 16 मई,2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-गाजीपुर में पूर्वान्चल विकास निधि (जिलांश) योजनान्तर्गत कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने में की गयी अनियमितता हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 09-10-2013 में पर्यवेक्षणीय दायित्वों का भली भांति निर्वहन न करने व शिथिल नियंत्रण हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री के0ए0 सिददीकी, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-गाजीपुर से शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-133/92 (प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी। श्री सिददीकी के पत्र सं0-03/ग्रा0अ0वि0/व्य0प0/आशु0/16-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा अपना पक्ष शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री के0ए0 सिददीकी के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री के0ए0 सिददीकी, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता पर पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 10-04-2014 द्वारा प्रचलित स्पष्टीकरण के प्रकरण को कार्यालय ज्ञाप संख्या-143/2017/1016/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 09-08-2017 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त कर दिया गया है।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-08-2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री के0ए0 सिददीकी के पत्र सं0-1020/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/जांच-स्पष्टीकरण पत्रा0/2016-17 दि0 12-12-2017 द्वारा प्रत्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिददीकी द्वारा यह उल्लिखित किया गया कि जिन कार्यो के पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किये जाने व शिथिल नियंत्रण हेतु उन्हें उत्तरदायी बताया गया है। उक्त कार्य उनके द्वारा सम्पादित नही कराया गया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त श्री सिददीकी पर अधिरोपित आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-08-2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश को समाप्त/विलोपित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-74/2019/1045/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

2- श्री के0ए0 सिददीकी, तत्का0 प्रभारी अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।